विधान परिषद के द्वितीय सत्र 2022 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–1 का उत्तरालेख :–

प्रश्न	**उत्तर**
1(क)– क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली जनपदों में वर्ष 2017 से दिनांक 21 जून, 2022 के मध्य कितने अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को उनके पारम्परिक कब्जे व जोत–कोड़ की वन भूमि को अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम–2006 के तहत वन अधिकार के रूप में मान्यता देते हुये अधिभोग हेतु हक दिया गया है?	जी हाँ।
(ख)– यदि हाँ, तो तहसीलवार विवरण भी उपलब्ध करायेंगे?	जनपद सोनभद्र, मिर्जापुर एवं चंदौली में वर्ष–2017 से दिनांक–21.06.2022 तक अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम–2006, नियम 2008 एवं संशोधन नियम 2012 के अन्तर्गत जनपद–सोनभद्र की तहसील दुद्धी में अनुसूचित जनजाति के 716 दावों, जनपद–मिर्जापुर की तहसील मड़िहान में 72 दावों तथा जनपद–चन्दौली की तहसील चकिया में अन्य परम्परागत वन निवासियों के 04 दावों एवं तहसील नौगढ़ में 10 दावों को स्वीकृत किया गया है। तीनों जनपदों में कुल 802 दावों को स्वीकृत करते हुये वन भूमि के अधिभोग का अधिकार प्रदान किया गया है।
(ग)– यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।

असीम अरूण
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)